संलग्नक-3.1 (संदर्भ खण्ड 3. 7 और 6.1-क)

विद्यमान उपभोक्ता संवर्ग और बिल देने का चक्र

एलएमवी-1	घरेलू प्रकाश, पंखा और पावर-अनुज्ञप्तिधारी के स्रोतों के अनुसार एक मास या दो मास।
एलएमवी-2	गैर घरेलू प्रकाश, पंखा और पावर-अनुज्ञप्तिधारी के स्रोतों के अनुसार एक मास या दो मास।
एलएमवी-3	सार्वजनिक प्रकाश-मासिक।
एलएमवी-4	सार्वजनिक संस्थाएं-मासिक।
एलएमवी-4 (क)	सार्वजनिक संस्थाओं के लिए प्रकाश, पंखा और पावर-मासिक।
एलएमवी-4 (ख)	निजी संस्थाओं के लिए प्रकाश, पंखा और पावर-मासिक।
एलएमवी-5	सिंचाई प्रयोजनों के लिए निजी नलकूपों/पम्पिंग सेटों के लिए लघु पावर-छमाही।
एलएमवी-6	लघु और मध्यम पावर-मासिक।
एलएमवी-7	सार्वजनिक जल-कार्य-मासिक।
एलएमवी-8	राजकीय नलकूप, विश्व बैंक के नलकूप और पम्प नहर-मासिक।
एलएमवी-9	अस्थायी आपूर्ति-मासिक (जहाँ आपूर्ति मीटर लगाकर की गई है)।
एलएमवी-10	विभागीय कर्मचारी-मासिक।
एचवी-2	बृहद और भारी पावर-मासिक।
एचवी-3	रेलवे-मासिक।
एचवी-4	लघु सिंचाई कार्य-मासिक।

संलग्नक-4.1

(संदर्भ खण्ड 4.4)

यह फार्म निःशुल्क उपलब्ध है

ऊर्जा की आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम : आवेदक का नवीनतम फोटो चिपकाएं (राजपत्रित अधिकारी/बैंक अधिकारी/ ग्राम प्रधान/सभासद द्वारा प्रमाणित)
2. पिता/पति का नाम :
3. व्यवसाय :
4. पता
   (क) ससूचना के लिए
   दूरभाष संख्या :
   (ख) जहां संयोजन की अपेक्षा है : (स्थान की पहचान के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करे)
   दूरभाष संख्या
   (ग) स्थायी पता :
   दूरभाष सं० :
5. भू-खण्ड का आकार.....वर्ग फुट
   आच्छादित क्षेत्र ..... वर्ग फुट
6. कुल भार : के० डब्ल्यू/के०वी०ए०/एच०पी०.....
7. आपूर्ति का उद्देश्य .....
8. प्रक्रिया शुल्क का विवरण :
   (क) धनराशि :
   (ख) ढंग : .....चेक/ड्राफ्ट/नकद
   (i) दिनांक :
   (ii) बैंक का नाम :

(पचास किलोवाट से अधिक और औद्योगिक प्रयोजनों के लिए विद्युत आपूर्ति का अनुरोध करने वाले आवेदक द्वारा निम्नलिखित सूचना दी जानी है)

9. इकाई का प्रकार फर्म (अर्थात् स्वामित्व ...../भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड/पब्लिक लिमिटेड/समिति/सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम)
10. औद्योगिक परिसर का विकास करने वाली संस्था का नाम .....(उदाहरण के लिए उ०प्र० राज्य औद्योगिक विकास समिति/स्वयं/औद्योगिक विभाग आदि)
11. कब्जा-पत्र या अनापत्ति प्रमाण-पत्र.....जो संस्था द्वारा जारी की गयी हो (प्रति संलग्न) संख्या .....दिनांक .....
12. क्या आपूर्ति की आवश्यकता स्वतंत्र फीडर के माध्यम से है .....
13. क्या उक्त इकाई कभी किसी अन्य स्थान पर संचालित थी या संयोजन के लिए आवेदन की थी?(यदि हो कृपया निम्नलिखित सूचना दें)
    (क) स्वीकृत भार .....
    (ख) सेवा संयोजन संख्या.....
    (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो) .....
    (घ) पता.....

14. यदि भूतकाल में परिसर के लिए विद्युत के संयोजन का अनुरोध किया गया था, यदि हॉ, तो विद्युत संयोजन का विवरण दें।

    (क) इकाई का नाम ……..

    (ख) सेवा संयोजन संख्या……

    (ग) भुगतान का बकाया (यदि कोई हो) ……..

15. वह उद्देश्य या प्रक्रिया जिसके लिए विद्युत भार की अपेक्षा की जाती है ……

16. प्रक्रिया की प्रकृति ……..……...

17. (क) उद्योग विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार से पंजीकरण संख्या : प्रति संलग्न की जाएगी) ……..……..……...

    (ख) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (प्रति संलग्न की जाए……..

18. इकाई का वित्त पोषण करने वाले अभिकरण का नाम (उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम/पिकप/बैंक/स्वयं कोई अन्य) ……..

19. उत्पादन के प्रारम्भ का प्रस्तावित दिनांक ……..

20. क्या पास-पड़ोस में और कोई इकाई कार्यरत है। यदि हों तो उसका नाम और पता दे……

21. कृपया समीपस्थ विद्युत उपकेन्द्र का वोल्टेज अनुपात और क्षमता और इकाई से उसकी दूरी विनिर्दिष्ट करें ……

संलग्नक :

1. कार्य-पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट (बी० और एल० फार्म)।
2. परिसर के विधिपूर्ण अधिभोग के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य। यदि आवेदक परिसर का स्वामी नहीं है, तो अनुप्तिधारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट क्षतिपूर्ति बन्ध-पत्र संलग्न किया जाए।
3. कारखाना /उद्योग/परिसर/प्रतिष्ठान/गृह मानचित्र जहां आपूर्ति अपेक्षित है। मीटर बाक्स की अस्थाई स्थिति इंगित की जाए।
4. भुगतान की रसीद यदि नगद/चेक/ड्राफ्ट द्वारा किया गया हो।
5. कम्पनी की ओर से दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के लिए व्यक्ति को प्राधिकृत करने के लिए निदेशक बोर्ड के उद्योग प्रस्ताव के मामले में।

टिप्पण—1.एम०डी०आई० मीटर रहित उपभोक्ताओं के मामले में घरेलू संवर्ग में संयोजित भार अनुबंधित भार का 200 प्रतिशत और वाणिज्यिक संवर्ग में अनुबन्धित भार का 133 प्रतिशत हो सकता है।

2. अपने हित में कृपया परिसर को खाली करने के पूर्व आप अपने विद्युत आपूर्ति को स्थाई रूप से वियोजित कराना सुनिश्चित करें और परिसर को खाली करने के पूर्व खण्ड से आपत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर।

3. विद्युत संयोजन को परिसर के स्वामित्व के सबूत के रूप में नहीं माना जाएगा।

घोषणा

मैं/हम……सत्यनिष्ठा से आश्वासन और वचन देता हूं/ देते हैं कि :

(क) मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूं/करते /करते हैं कि मैं/हम अनुज्ञप्तिधारी से आपूर्ति के प्रारम्भ के दिनांक ……से दो वर्षों से अन्यून अवधि के लिए उपरोक्त उल्लिखित उद्देश्यों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति लेने और इस प्रकार आपूर्तित ऊर्जा और टैरिफ आदेश में उपवर्णित दरों और अन्य सभी प्रकार का भुगतान करने के लिए इच्छा और सहमति रखता हूं/ रखते हैं।

(ख) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की वितरण संहिता (कोड) को उसमें उल्लिखित किन्हीं उपांतरणों सहित और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों का तथा इसके अन्तर्गत बनाई गयी नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूं/है।

(ग) मैं/हम यह भी घोषणा करते है कि उपरोक्त उपबन्धों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह उपरोक्त कथित वितरण संहिता के निबंधनों के अनुसार आपूर्ति को रोक दे।

(घ) मैं/ हम आगे यह घोषणा करता हूं/ करते है कि अनुज्ञप्तिधारी को आपूर्ति में किसी विघ्न/कमी के ऐसे कारणों के लिए जो उसके नियंत्रण से परे है, उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

(ङ) मैं/हम यह समझता हूं/समझते हैं कि यह घोषणा पत्र दो वर्ष पश्चात् इस संहिता में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी पक्षकार द्वारा नोटिस देकर रद्द किया जा सकता है।

(च) मैं/हम आगे इस बात पर सहमत है कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गए इस घोषणा-पत्र को अनुज्ञप्तिधारी के साथ किए गये उपरोक्त आशय के किसी अनुबंध की तरह समझा जाएगा।

(छ) मैं/हम घोषणा करता हूं/करते हैं कि आवेदन-पत्र में दिए गए सभी विवरण मेरे/हमारे ज्ञान में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाई जाती है तो अनुज्ञप्तिकारी को आपूर्ति रोक देने/काट देने, जैसी स्थिति हो, का अधिकार होगा।

(ज) मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत का अप्राधिकृत प्रयोग नहीं है। दूसरे शब्दों में मेरे/हमारे द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि अनुज्ञप्तिधारी मुझे/हमें प्रदत्त ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि उपकरण के अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन या विद्युत के अप्राधिकृत प्रयोग कोई ढंग है, तो अनुज्ञप्तिधारी का अभिहित प्राधिकारी सामान्य परीक्षण और उपकरण, मीटर और वायरिंग का परीक्षण करने के लिए परिसर पर प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र होगा।

(झ) मैं/हमारे विद्युत आपूर्ति संहिता, 2005 में विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देने का वचन देता हूं/देते हैं कि जब कभी मैं उस परिसर को खाली करने का आशय रखूंगा, जिसके लिए विद्युत संयोजन ग्रहण किया जा रहा है।

दिनांक ..... आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान ..... (अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाएगा)

1. प्राप्त आवेदन की तारीख
2. स्वीकृत अनुबंधित भार
3. आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख
4. उपभोक्ता सं०/संयोजन सं०
5. मीटर सं०

आवेदक का हस्ताक्षर अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

अभिस्वीकृति

आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए श्री/श्रीमती .....का आवेदन-पत्र, जो सभी सम्बन्धों में पूर्ण है/निम्नलिखित कमियां हैं, ...को प्राप्त किया गया है। इस सम्बन्ध में आवेदक को सभी भावी पत्राचार में प्रयुक्त किए जाने के लिए निर्देश सं०.....दिया जाता है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

संलग्नक-4.2

(संदर्भ खण्ड 4.4)

(यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है)

क्षतिपूर्ति बंध-पत्र

(यदि आशयित उपभोक्ता परिसर का स्वामी नहीं है)

सेवा में,

प्रेषक,

.....अभियन्ता.....

.....

चूंकि वह भूमि/परिसर जिसका विवरण नीचे दिया गया है, श्री/श्रीमती .....के स्वामित्व में है और मैं उक्त भूमि/परिसर का केवल पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी हूँ जहां पर बिजली के कनेक्शन हेतु मैंने आवेदन किया है। मैं/श्री/श्रीमती .....से इस विषय में सम्मति प्राप्त नहीं कर सका हूं लेकिन मैंने उक्त भूमि/परिसर के अधिभोग का सबूत अर्थात् विधिमान्य मुख्तारनामा/किराये की नवीनतम रसीद/पंजीकृत पट्टा विलेख उपलब्ध करा दिया है।

अत: आपूर्ति की शर्तों पर जिसके लिए मैंने अनुबंध किया है, मुझे बिजली के कनेक्शन की स्वीकृति होने पर मैं अनुज्ञप्तिधारी को होने वाली सभी प्रकार की क्षतियों और दावों की क्षतिपूर्ति करने और उसे उपहानि से मुक्त रखने को सहमत हूं। इसमें कथित भूमि/परिसर के स्वामी (भले यह मालिक श्री/श्रीमती .....या कोई अन्य हो) द्वारा कार्रवाई की धमकी दिए जाने या उसके अनुरोध के कारण होने वाले मुकदमें में आने वाली लागत, मूल याचिकाएं और सभी प्रकार की विधिक कार्यवाहियां शामिल हैं जिन्हें अनुज्ञप्तिधारी उपगत कर सकता है या उसके द्वारा उपगत किए जाने की सम्भावना है। मैं पुन: सहमत हूं। कि भूमि/परिसर के स्वामी की सम्मति के बिना मुझे दिए गए बिजली कनेक्शन के कारण उत्पन्न होने वाले ऐसा कोई नुकसान, क्षति या अन्य कोई दावा मुझसे और मेरी सम्पत्ति से, वसूली किए जाने के समय लागू राजस्व वसूली अधिनियम में दिए गए उपबंधों के अन्तर्गत, या ऐसी किसी कार्यवाही द्वारा, जिसे अनुज्ञप्तिधारी प्राथमिकता देना उचित समझता है, वसूल किए जाने योग्य है।

मैं स्वयं को ऐसी वसूली और कार्यवाहियों पर होने वाले व्यय के लिए भी उत्तरदायी मानता हूँ।

स्थान .....

दिनांक ..... पट्टेदार/किरायेदार/अधिभोगी के हस्ताक्षर

साक्ष्य : .....

संलग्नक-4.3

(संदर्भ खण्ड 4.4)

यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है।

नई आपूर्ति प्राप्त करने के लिए स्वामी का सम्मति-पत्र

सेवा में, दिनांक : ……..

अधिशासी अभियन्ता

(अनुज्ञप्तिधारी का पता)

स्वामी का सम्मति-पत्र

मैं……का …….

परिसर सं० ……..का विधिक स्वामी होने के कारण एतद्द्वारा निम्न रूप में सहमत हूं :

मैं श्री ……द्वारा किराए पर दिए गए पूर्वोक्त परिसर में आप द्वारा आपके और पूर्वोक्त परिसर के किराएदार के बीच करार के निबन्धनों के अधीन विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत सेवा के बिल, मीटर, तार बिछाने, उपस्कर और अन्य उपकरणों के संस्थापन (एतस्मिन् पश्चात् संस्थापन कहा जाएगा) के लिए सम्मति देता हूँ। पूर्वोक्त परिसर के पूर्वोक्त किराएदार के खाली करने की स्थिति में, मैं पूर्वोक्त किराएदार से आपकी संविदा के अवसान के लिए प्रबन्ध करने के लिए आपको समर्थ बनाने के लिए आपको अग्रिम में 15 (पन्द्रह) दिनों की सम्यक् नोटिस दूंगा, जिसमें असफल रहने पर मैं किसी हानि के लिए उत्तरदायी हूंगा, जो उस कारण उत्पन्न हो।

मैं आश्वासन देने का वचन देता हूं कि किराएदार अनुज्ञप्तिधारी के सभी विद्युत बकाये का भुगतान करता है और उक्त परिसर को खाली करने के पूर्व आदेश प्रमाण-पत्र प्राप्त करता है।

उक्त स्वामी……द्वारा ……..की उपस्थिति में हस्ताक्षरित साक्षियों के नाम …….

पता ……

संलग्नक-4.4

(संदर्भ खण्ड 4.4)

कार्य पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र तथा परीक्षण परिणाम
(अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार द्वारा भरा जाएगा)

1. उपभोक्ता का नाम :
2. पिता/पति का नाम :
3. पता :
4. वोल्टता तथा आपूर्ति की प्रणाली.....वोल्टता.....फेस
5. भार का विवरण :

विवरण	220/230 वोल्ट						400/440वाट		एच०टी०/ई० एच०टी०	
	फेज 1		फेज 2		फेज 3		संख्या	कुल भार	संख्या	कुल भार
	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल वाट	संख्या	कुल भार	संख्या	कुल भार
1- प्रकाश बिन्दु 2- पंखा बिन्दु 3- प्लग बिन्दु 4- मोटर 5- अन्य उपकरण										
योग										

(6) के० डब्ल्यू० में कुल संयोजित भार

(7) एम्पीयर में कुल करेण्ट

(8) एल०ई०सी० द्वारा निरोध परीक्षण का परिणाम

विवरण	फेज 1	फेज 2	फेज 3
फेज और अर्थ के बीच			
न्यूट्रल और अर्थ के बीच			
फेजों के बीच			

अनुज्ञप्त ठेकेदार द्वारा सत्यापन प्रमाण-पत्र

मैं/हम .....अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार, अनुज्ञप्ति संख्या निम्न का सत्यापन करते हुए प्रमाणित करता हूं/करते हैं कि–

(1) पूर्वोक्त संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है,

(2) पूर्वोक्त संस्थापन का विद्युतरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे पर्यवेक्षक द्वारा किया गया है।

(3) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों एवं भारतीय मानक संस्थान, प्राावधानों के अनुरूप किया गया है।

(4) उक्त कार्य निम्नांकित कर्मचारियों द्वारा किया गया है–

वायरमैन का नाम .....परमिट सं० .....वैधता की तारीख .....

हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक का नाम .....प्रमाण-पत्र सं०.....वैधता की तारीख.....

प्रशिक्षु का नाम हस्ताक्षर

विद्युत ठेकेदार के फर्म का नाम :

अनुज्ञप्ति सं० .....वर्ग.....वैधता की तारीख.....

वैधता की तारीख

हस्ताक्षर

उपभोक्ता द्वारा घोषणा

मैं प्रमाणित करता हूं कि राज्य विद्युत परिषद् अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम, 1956 के प्रावधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता ……..एम्पीयर से अधिक नहीं है। संस्थापन में कोई परिवर्तन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुमोदन के बाद की जाएगी।

दिनांक : ……. उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि द्वारा परीक्षण रिपोर्ट

विद्युतरोधी परीक्षण का परिणाम–

फेज-1 व अर्थ के बीच	फेज-2 व अर्थ के बीच	फेज–3 व अर्थ के बीच
----------	----------	----------
फेज-1 व 2 के बीच	फेज-2 व 3 के बीच	फेज-3 व 1 के बीच
----------	----------	----------

संस्थापन में पायी गयी कमियों, यदि कोई हो एवं उसे दूर करने के लिए की गयी कार्यवाही–

1--

2--

3--

दिनांक……. अनुज्ञप्तिधारी के निरीक्षक का हस्ताक्षर, नाम और पदनाम

विद्युत सुरक्षा निदेशालय का प्रमाणक

निरीक्षक का परिणाम निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम और पद नाम

(विवरण संलग्न किया जाए)

निरीक्षण तिथि

संलग्नक-4.5

(संदर्भ खण्ड 4.10)

यह फार्म नि:शुल्क उपलब्ध है

ऊर्जा की अस्थाई आपूर्ति की अध्यपेक्षा के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम :
2. व्यवसाय :
3. आवेदक का पता :
4. पता जहां संयोजन अपेक्षित है :
   (क) (स्थान की पहचान करने के लिए भूमि चिन्ह निर्दिष्ट करें)
5. कुल संयोजित भार :
6. आपूर्ति का उद्देश्य :
7. (क) दिनांक जिससे आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है :
   (ख) अवधि जिसके लिए आपूर्ति की अपेक्षा की जाती है :
8. शुल्क का विवरण :
   (क) धनराशि.....
   (ख) ढंग-चेक/ड्राफ्ट/नकद :
      1. संख्या.....तारीख.....
      2. बैंक का नाम.....

घोषणा

मैं/हम.....निष्ठापूर्वक आश्वासन देते हैं/दिलाते हैं और वचन देता हूँ/देते हैं कि :

(क) मैं/हम आयोग द्वारा अनुमोदित अनुज्ञप्तिधारी की विवरण संहिता (कोड) और इसके उपांतरों सहित और विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों, इसके अन्तर्गत बनाई गई नियमावली से बाध्य होने को सहमत हूँ/हैं।

(ख) मैं/हम यह भी घोषणा करता हूं/करते हैं कि संहिता के सुसंगत उपबंधों का पालन करने में मेरे/हमारे विफल रहने की दशा में अनुज्ञप्तिधारी के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह आपूर्ति को रोक दे।

(ग) मैं/हम यह और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अनुज्ञप्तिधारी, आपूर्ति में आने वाली किसी बाधा/कमी के लिए जो उसके नियंत्रण से बाहर है, उत्तरदायी नहीं होगा।

(घ) मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/सहमत हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिए गये इस घोषणा पत्र अर्थान्वयन अनुज्ञप्तिधारी के साथ किया गया उपरोक्त आशय के किसी अनुबन्ध की तरह किया जाएगा।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि अध्यपेक्षा पत्र में दिए गए सारे विवरण मेरी/हमारी जानकारी में सत्य है। यदि कोई सूचना किसी पश्चात्वर्ती दिनांक पर गलत पाया जाता है तो अनुज्ञप्तिधारी को मेरी आपूर्ति को रोकने/विच्छेदित करने, यथास्थिति का अधिकार होगा।

दिनांक .....

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान .....

.....

(अनुज्ञप्तिधारी द्वारा भरा जाए)

1. आवेदन प्राप्त करने का दिनांक
2. स्वीकृत किया गया अनुबंधित भार

3. आपूर्ति प्रारम्भ करने का दिनांक
4. संदर्भ संख्या

अभिस्वीकृति

श्री/श्रीमती.....का हर प्रकार से पूर्ण, अस्थाई आपूर्ति हेतु आवेदन-पत्र दिनांक.....को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में आवेदक को भविष्य के सभी पत्राचार के लिए संदर्भ संख्या.....दी जा रही है।

अनुज्ञप्ति के प्रतिनिधि का हस्ताक्षर

.....

संलग्नक-4.10

[(संदर्भ खण्ड 4.41 (क) और 4.43 (क)]

यह आवेदन निःशुल्क उपलब्ध है और दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए

संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने के लिए आवेदन–पत्र

सेवा में,

(अनुज्ञप्तिधारी का नाम) .....

आवेदन संख्या ..... दिनांक .....

संयोजन संख्या.....

उपभोक्ता का नाम .....

पता.....

.....

.....

.....भार की आवश्यकता के पुनरीक्षण के परिप्रेक्ष्य में मैं/हम एतद्द्वारा अपनी संविदा मांग को बढ़ाने/घटाने हेतु अनुरोध करता हूँ/करते हैं, जैसा कि वितरण संहिता के उपबंधों के अनुसार इसका विवरण नीचे दिया गया है।

1. पता जिस पर भार बढ़ाना/घटाना अपेक्षित है
   भार की अधिकतम मांग
2. विद्यमान प्रस्तावित
   (*i*) संयोजित भार किलोवाट/मेगावाट किलोवाट/मेगावाट
   (*ii*) अधिकतम मांग किलोवाट/मेगावाट किलोवाट/मेगावाट
   (*iii*) आपूर्ति से जोड़े गये/विच्छेदित भार का विवरण

(क) प्रकाश हेतु

(ख) गतिदायी शक्ति/कृषि

(ग) अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

संलग्नक :

1. अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार का कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।
   अनुज्ञप्त ठेकेदार का नाम.....
2. बिजली के अंतिम भुगतान किए गए बिल की प्रति संलग्न है।
3. पिछली तीन बिलिंग अवधियों की ली गई मीटर रीडिंग।
4. विद्युत निरीक्षक का अनुमोदन-पत्र, जहाँ एच० टी० संस्थापन में परिवर्तन किया जाना है।
   (केवल एच० टी० उपभोक्ताओं के लिए लागू है)
5. सक्षम प्राधिकारियों का अनापत्ति प्रमाण-पत्र जैसा लागू हो।

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

संलग्नक-4.11

[संदर्भ खण्ड 4.44 (ख)]

यह प्रारूप निःशुल्क उपलब्ध है

कनेक्शन के अन्तरण/नामांतरण हेतु प्रारूप

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,

.....

.....

संविदाकृत भार.....के लिए संयोजन संख्या ..... श्री/श्रीमती.....के पते से .....पते पर दिया गया है।

यह अनुरोध किया जाता है कि निम्नलिखित कारणों से उपरोक्त संयोजन को श्री/श्रीमती .....के नाम से उसी पते.....पर अन्तरित करने की कृपा करें।

उपरोक्त संयोजन के अन्तरण के लिए निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न है :

1. प्रक्रिया शुल्क जमा करने की रसीद।
2. पंजीकृत विलेख/उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र।
3. सम्यक् रूप से भरा हुआ नवीन आवेदन-पत्र।
4. विद्यमान उपभोक्ता से, यदि उपलब्ध/सम्भव हो, अनापत्ति प्रमाण-पत्र।

धन्यवाद

आवेदक का नाम, हस्ताक्षर, पता और दूरभाष संख्या

अभिस्वीकृति

संयोजन संख्या.....को श्री श्रीमती..... के नाम में अन्तरण/नामांकन हेतु हर प्रकार से पूर्ण/निम्नांकित कमियों सहित श्री/श्रीमती .....का आवेदन एतद्द्वारा दिनांक.....को प्राप्त हुआ। इस सम्बन्ध में आवेदक को भविष्य में पत्राचार हेतु संदर्भ संख्या ..... दी जा रही है।

अनुज्ञप्तिधारी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

संलग्नक-4.12

(संदर्भ खण्ड 4.14(ग) और (ङ))

विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति के लिए करार

(पी० टी० डब्ल्यू० के सभी भार के लिए, औद्योगिक और अन्य संवर्ग में भार 25 के० डब्ल्यू० से अधिक/समान होगा)

यह करार.....के.....दिन को

(वितरण कम्पनी का नाम), कम्पनी अधिनियम, 1956 के अधीन निगमित कम्पनी, जिसका पंजीकृत कार्यालय.....उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री....., एतस्मिन्पश्चात् अनुज्ञप्तिधारी के रूप में निर्दिष्ट) जिस पद का तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती होगा और ये शामिल होंगे, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो) एक ओर

और

दूसरी ओर व्यक्तिगत/भागीदारी उपक्रम/स्वत्वधारी उपक्रम/संस्थान/न्यास/समिति/हिन्दू संयुक्त परिवार/निगमित निकाय/कम्पनी/सरकारी निकाय (उसे काट दीजिए, जो लागू न हो), जो..... अधिनियम के अधीन निगमित है और जिसका निवास/मुख्यालय/पंजीकृत कार्यालय..... में है, अपने प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता श्री.....(नाम और पदनाम), जिसे एतस्मिन्पश्चात् ''उपभोक्ता'' कहा जाएगा (जिसका तात्पर्य हित उत्तराधिकारी, नामांकिती और समनुदेशिती से है और वे इसमें शामिल हैं, जब तक उसके विषय या सन्दर्भ या अर्थ में प्रतिकूल न हो),

के बीच निष्पादित किया जाता है।

चूंकि :

1. अनुज्ञप्तिधारी अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत की आपूर्ति करने के कारबार में संलग्न हैं और उसे भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के अधीन अनुज्ञप्ति प्रदान किया गया है और वर्तमान में अपने अनुज्ञप्त क्षेत्र के अन्तर्गत विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा के वितरण और/या फुटकर आपूर्ति और/या थोक आपूर्ति के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (एतस्मिन्पश्चात् अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) की धारा 14 के प्रथम परन्तुक के अधीन अनुज्ञप्तिधारी माना जाता है।
2. उपभोक्ता दिनांक.....के आवेदन द्वारा.....प्रयोजन के लिए.....के सम्बन्ध में.....में स्थित अपने परिसर .....(एतस्मिन् पश्चात् उक्त परिसर के रूप में निर्दिष्ट) में विद्युत संस्थापन).....के० डब्ल्यू०/बी० एच० पी०/के० वी० ए० के भार के लिए ऊर्जा की आपूर्ति (एतस्मिन्पश्चात् संविदात्मक भार के रूप में निर्दिष्ट) उपाप्त करने के लिए अनुज्ञप्तिधारी के समक्ष आवेदन किया है।

(उसे काट दीजिए जो लागू न हो)

(क) घरेलू प्रकाश, पंखा और ऊर्जा (एल० एम० वी०-1)

(ख) गैर घरेलू प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-1)

(ग) सार्वजनिक प्रकाश (एल० एम० वी०-3)

(घ) सार्वजनिक संस्थान (एल० एम० वी०-4)

(ङ) सार्वजनिक संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-4 ए)

(च) व्यक्तिगत संस्थानों के लिए प्रकाश, पंखा और शक्ति (एल० एम० वी०-4 बी)

(छ) सिंचाई प्रयोजनों के लिए व्यक्तिगत नलकूपों/पंपिंग सेटों के लिए कम शक्ति (एल० एम० वी०-5)

(ज) कम और मध्यम शक्ति (शक्ति या निर्बन्धित/अनिर्बन्धित उपयोग) (एल० एम० वी०-6)

(झ) सार्वजनिक जल कार्य (एल० एम० वी०-7)

(ञ) राज्य नलकूप, विश्व बैंक नलकूप और पम्प नहर (एल० एम० वी०-8)

(ट) अस्थायी आपूर्ति (एल० एम० वी०-9)

(ठ) बड़ी और भारी शक्ति (शक्ति का निर्बन्धित/अनिर्बन्धित प्रयोग) (एच० वी०-2)

(ड) रेलवे (एच० वी०-3)

और अनुज्ञप्तिधारी ऊर्जा की ऐसी आपूर्ति प्रदान करने के लिए सहमत हुआ है। दर अनुसूची, जैसा कि ऊपर है, नवीनतम टैरिफ आदेश के अनुसार होगा।

अब यह करार देखा जाता है और एतद्द्वारा पक्षकारों द्वारा और के बीच निम्नलिखित करार किया जाता है, घोषणा की जाती है और अभिलिखित किया जाता है :

1. यह करार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इस करार के अधीन उपभोक्ता को आपूर्ति के प्रारम्भ की तारीख से 2 (दो) वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए प्रभावी होगा।

2. (क) उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को सभी प्रभारों का भुगतान करेगा, जैसाकि प्रवर्तित टैरिफ (या दर) अनुसूची में इसके लिए अनुबन्धित है, जैसाकि समय-समय से उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (एतस्मिन् पश्चात् आयोग के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा अनुमोदित है, जिसमें उसकी आपूर्ति को शासित करने वाले टैरिफ (दर) अनुसूची के अधीन शर्तों में से किसी के उल्लंघन की स्थिति में उपभोक्ता द्वारा संदेय कोई दाण्डिक या अतिरिक्त प्रभार शामिल है।

   (ख) पूर्वोक्त प्रभारों के अतिरिक्त, उपभोक्ता अन्य कानूनी शुल्कों का भी भुगतान करेगा, जिसमें विद्युत शुल्क, कर, प्रभार, अधिभार इत्यादि शामिल है, जैसाकि समय-समय से लागू हो।

3. उपभोक्ता एतद्द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निम्न रूप में वचन देता है, प्रतिनिधित्व करता है, आश्वासन देता है, अपेक्षा करता है, करार करता है और प्रसंविदा करता है :

   (*I*) उपभोक्ता आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत प्रदाय संहिता, 2005 (एतस्मिन् पश्चात् संहिता के रूप में निर्दिष्ट) के सभी निबन्धनों और शर्तों और उसके संशोधनों/पुनरीक्षणों और अधिनियम के प्रावधानों के साथ अधिनियम के अधीन निर्मित नियमावली तथा भारतीय विद्युत नियमावली, 1956, जिसमें उसका उपान्तरण शामिल है, का अनुपालन करेगा और से बाध्य होगा, जब तक वे उपभोक्ता को लागू हैं।

   (*II*) अनुज्ञप्तिधारी किसी ढंग में, चाहे जो भी हो और जैसे भी हो, अपने नियंत्रण के परे कारणों से आपूर्ति की कटौती, व्यवधान, स्थगन, कमी या रोक और अपने नियंत्रण से परे कारणों से आपूर्ति की असफलता से उद्भूत क्षति या नुकसानी के कारण किसी दावा के लिए उत्तरदायी निर्णीत नहीं किया जाएगा, जिसमें शामिल है किन्तु निर्बन्धन की शर्तों पर सीमित नहीं हैं, जो उस तक सीमित होगा, जैसा कि संहिता में प्रावधान किया गया है।

   (*III*) उपभोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि उसके परिसर में आपूर्ति की गई ऊर्जा का उपयोग विधि और प्राधिकार के अनुसार किया जाता है और उपकरण में अप्राधिकृत वृद्धि/परिवर्तन नहीं है। यदि अनुज्ञप्तिधारी को यह समझने या आशंका करने का युक्तियुक्त आधार है कि किसी तरह, चाहे जो भी हो, उक्त शर्तों का उल्लंघन है, तो अनुज्ञप्तिधारी के अभिहित प्राधिकारी सामान्य निरीक्षण और उपकरण, मीटर तथा वायरिंग इत्यादि के परीक्षण के लिए उपभोक्ता के परिसर में प्रवेश करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

   (*IV*) उपभोक्ता यह आश्वासन देगा कि मीटर, मीटर बोर्ड, सेवा स्रोत परिपथ, एम० सी० बी०/सी० बी०, भार सीमांकन इत्यादि किसी परिस्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के प्राधिकृत कर्मचारी/प्रतिनिधि के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हस्तचालित नहीं किया जाता या हटाया नहीं जाता। सील, जो मीटर/मापने के उपकरण, भार सीमांकन और अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण पर लगाया गया है, इसी तरह दूषित, क्षतिग्रस्त या तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण और उपभोक्ता के परिसर के अन्तर्गत मीटर/माप करने के उपकरण पर सील की सुरक्षित अभिरक्षा के लिए उत्तरदायित्व उपभोक्ता पर होगा। उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि द्वारा किसी कार्य, उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण उपभोक्ता के परिसर में अनुज्ञप्तिधारी के उपकरण को कारित किसी क्षति की स्थिति में उसका खर्च, जैसाकि अनुज्ञप्ति द्वारा दावाकृत है, उपभोक्ता द्वारा संदेय होगा।

   (*V*) उपभोक्ता लिखित में अनुज्ञप्तिधारी को सूचना देगा (जैसाकि संहिता में इसके लिए प्रावधान किया गया है) यदि वह उक्त परिसर या उसके किसी भाग को खाली करने के लिए आशय रखता है, जिसके लिए विद्युत संयोजन अनुज्ञप्तिधारी से ग्रहण किया गया है।

4. (क) इसके अधीन अपेक्षित या अनुमत सभी नोटिस/सूचना लिखित में होगी और संहिता में इसके लिए विहित प्ररूप में भेजी जाएगा। नोटिस कूरियर, पंजीकृत डाक, त्वरित डाक, फैक्स, व्यक्तिगत परिदान, चिपकाने और समाचारपत्र में प्रकाशन द्वारा भेजी जा सकेगी। नोटिस पंजीकृत और त्वरित डाक द्वारा परिदान के मामले में डाकघर रसीद, कूरियर मेल द्वारा प्रेषण की तारीख से 4 (चार) दिनों के अवसान पर और व्यक्तिगत परिदान के मामले में उपभोक्ता या उसके कर्मचारियों या उपभोक्ता के प्रतिनिधि द्वारा उसकी रसीद के साथ और समाचारपत्र में प्रकाशन के मामले में ऐसे समाचारपत्र के प्रकाशन की तारीख पर साथ ही चिपकाने के मामले में उक्त परिसर के सहजदृश्य स्थान पर ऐसी नोटिस के चिपकाने के साथ ही उपभोक्ता द्वारा प्राप्त किया गया माना जाएगा।

   (ख) लेकिन, अनुज्ञप्तिधारी से मासिक विद्युत उपभोग बिल के भुगतान के लिए किसी पृथक् नोटिस को जारी करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी और ऐसा बिल उसमें वर्णित धनराशि के भुगतान के लिए ''बिल तथा नोटिस'' होना माना जायेगा।

5. बकाया कम्पनी की परिसम्पत्ति पर प्रभार होगा। विक्रय किए जाने के पूर्व बकाये का भुगतान किया जाएगा और विकल्प में करार/विक्रय-विलेख विनिर्दिष्ट रूप से बकाये और उसके भुगतान के ढंग का उल्लेख करेगा।

6. यदि उपभोक्ता घोषणा/करार के निष्पादन के बाद अपने भार में कमी या वृद्धि करता है या प्रयोग के प्रयोजन को परिवर्तित करता है या अपने संयोजन को अन्तरित करता है, तो उसे नई घोषणा/करार को निष्पादित करना होगा, जो नए संयोजन के समय पर निष्पादित करार की तरह दो वर्ष के लिए विधिमान्य होगा। लेकिन, दर अनुसूची/आयोग/डिस्काम में उपबन्धित कोई अनुतोष/रियायत, जो नए संयोजन में ग्राह्य है, उक्त रूप में परिसर में परिवर्तन/भार की कमी के कारण नये करार/घोषणा के निष्पादन पर ग्राह्य नहीं होगा।
7. माध्यस्थम : यदि इस करार के पक्षकारों के बीच इसमें अन्तर्विष्ट किसी प्रावधान या खण्ड के निर्वचन या प्रभाव या उसके अर्थान्वयन के सम्बन्ध में या किसी तरह से इस करार से सम्बन्धित या से उद्भूत किसी अन्य मामले के सम्बन्ध में या उसके प्रवर्तन के सम्बन्ध में या उसके सम्बन्ध में दोनों पक्षकार के अधिकारों, कर्तव्यों या दायित्वों के सम्बन्ध में कोई प्रश्न या विवाद या मतभेद उत्पन्न होता है, तो सेवा प्रश्न, विवाद या मतभेद डिस्काम के प्रबन्ध निदेशक या उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को माध्यस्थम में निर्दिष्ट किया जाएगा और उक्त मध्यस्थ का अधिनिर्णय/विनिश्चय अन्तिम होगा और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा। माध्यस्थम में कार्यवाही करने के लिए नामांकिती द्वारा किसी उपेक्षा या नामंजूरी के मामले में डिस्काम का प्रबन्ध निदेशक एकमात्र मध्यस्थ के रूप में विवाद में कार्यवाही करने के लिए अपने स्थान पर अन्य व्यक्ति को नाम निर्देशित कर सकता है :

परन्तु यदि प्रश्न, विवाद या मतभेद इस करार के निबन्धनों में उपभोक्ता पर प्रभार्य किसी बकाये से सम्बन्धित है, तो माध्यस्थम को कोई निर्देश उपभोक्ता के निर्देश पर उपभोक्ता के विवादास्पद बकाये की धनराशि नकदी में/बैंक ड्राफ्ट द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के पास निक्षेप किए जाने तक नहीं किया जाएगा।

8. यह करार विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा उसके सभी संशोधनों, भारत में तत्समय प्रवर्तित विभिन्न अन्य विधियों द्वारा शासित किया जाएगा, किन्तु यू० पी० ई० आर० सी० के विभिन्न विनियमों तक सीमित नहीं होगा, जैसाकि उ० प्र० राज्य में लागू है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय की अधिकारिता के अधीन होगा।
9. स्टाम्प लगाने पर (केवल 100 रुपये के गैर न्यायिक स्टाम्प कागजात) पर व्यय उपभोक्ता द्वारा इस करार के लिए किया जाएगा, जिसे रजिस्ट्रीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

जिसके साक्ष्य में पक्षकार ने नीचे उल्लिखित साक्षियों की उपस्थिति में पहले उक्त लिखित रूप में स्थान, दिन, मास और वर्ष में इसे निष्पादित किया है।

नामित अनुज्ञप्तिधारी (वितरण कम्पनी का नाम) श्री.....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक.....के परिषद् के प्रस्ताव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत.....में हस्ताक्षरित और परिदत्त किया गया।

नामित उपभोक्ता.....द्वारा श्री.....(नाम और पदनाम) के माध्यम से दिनांक.....के परिषद् के प्रस्ताव/न्यास/विलेख/भागीदारी विलेख (उसे काट दीजिए, जो लागू नहीं है) द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत.....में हस्ताक्षरित और परिदत्त।

निम्नलिखित साक्षियों की उपस्थिति में :

1. .....
2. .....
3. .....

संलग्नक-4.13

(संदर्भ खण्ड 4.40)

संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन

सेवा में,

अधिशाषी अभियन्ता

विद्युत वितरण खण्ड

1. उपभोक्ता का नाम
2. संयोजन संख्या
3. पता
4. विद्यमान संवर्ग — डाम एल० एफ०/नानडाम एल० एफ०/ एस० एम० पावर/लार्ज पावर
5. प्रस्तावित संवर्ग — डाम एल० एफ०/नानडाम एल० एफ०/ एस० एम० पावर/लार्ज पावर
6. संवर्ग के परिवर्तन के लिए कारण

संलग्नक :

(1) अनुज्ञप्त विद्युत ठेकेदार से कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र और परीक्षण रिपोर्ट

(2) अन्तिम भुगतान किए गए बिल की प्रतिलिपि

स्थान :

दिनांक : आवेदक का हस्ताक्षर

कार्यालय प्रयोग के लिए

1. आवेदन की प्राप्ति की तारीख
2. जांच फीस
3. स्थल निरीक्षण की तारीख
4. स्वीकृति की तारीख

अभिस्वीकृति

श्री.....संयोजन सं०.....से सभी सम्बन्धों में पूर्ण संवर्ग के परिवर्तन के लिए आवेदन प्राप्त किया गया।

हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :